

दक्षिण मध्य रेलवे

सेप्टी.387/फ्लाई लीफ/11/2025.

फ्लाई लीफ सं. 11 / 2025
ध्यान दें.....सर्व संबंधित

पुश ट्रॉली / लॉरी कार्यचालन

ए. ट्रॉली, लॉरी और मोटर ट्रॉली.

1. वाहन जिसे चार व्यक्तियों द्वारा लाइन से शारीरिक रूप से उठाया जा सकता है, उसे ट्रॉली माना जाएगा और उसी प्रकार के कोई भी समान किन्तु भारी वाहन (जिसमें डिप लॉरी भी शामिल है) को लॉरी माना जाएगा.
2. कोई भी ट्रॉली जो मोटर के माध्यम से स्व-चालित (सेल्फ प्रोपेल्ड) होती है, मोटर ट्रॉली कहलाती है.
3. ट्रॉली का उपयोग, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, रेलपथ या अन्य भारी सामग्री के परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा, और जब ट्रॉली में इस प्रकार सामान भरा हो, तो उसे लॉरी समझा जाएगा.
4. पुश ट्रॉलियों और लॉरियों को हमेशा धक्का देकर चलाया जाएगा, खींचा नहीं जाएगा.
5. साइकिल ट्रालियों या ट्रालियों को धकेलने के बजाय पैडल से चलाया जाता है और मोपेड ट्रालियों को मोटर से या पैडल से चलाया जा सकता है. आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धकेला जा सकता है, लेकिन खींचा नहीं जा सकता है.
6. साइकिल ट्रालियों और मोपेड ट्रालियों को सभी प्रकार से पुश ट्रालियां माना जाएगा.
7. पुश ट्रालियों/मोटर ट्रालियों पर कम से कम चार ट्रॉली मैन तैनात रहेंगे. अधिकतम संख्या में मैन ले जाए जा सकते हैं. पुश ट्रॉली - ब.ला. पर दस.
8. लॉरियों पर फ्लैगमैन को छोड़कर कम से कम छह लॉरी मैन तैनात रहेंगे.
9. साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली पर पैडल मारने या चलाने वाले व्यक्तियों को मिलाकर तीन व्यक्ति होंगे.
10. प्रत्येक पुश ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली, मोपेड ट्रॉली या लॉरी पर दो लाल झंडियों के बजाय पाँच लाल झंडे लगाए जाएंगे. प्रत्येक पुश ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली, मोपेड ट्रॉली, लॉरी या मोटर ट्रॉली के लिए दस डेटोनेटर दिए जाएंगे.
11. ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/लॉरियों की संख्या - प्रत्येक ट्रालियों/मोटर ट्रालियों और लॉरी पर उसकी संख्या, कोड, विभाग के आद्याक्षर, प्रभारी अधिकारी का पदनाम और मुख्यालय अंकित किया जाएगा.
12. ट्रॉली या साइकिल ट्रॉली की गति 15 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी.

बी. लाइन पर होने पर लॉरी या ट्रॉली का प्रभारी बनने के लिए योग्य व्यक्ति

1. कर्मचारियों को पुश ट्रालियों और लॉरियों का उपयोग करने की अनुमति: प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम प्रमाणित किए जाने की शर्त पर, इंजीनियरी, कर्षण वितरण और सिगनल व दूरसंचार विभागों के सभी अधिकारी और निरीक्षक तथा परिचालन और वाणिज्य विभागों के ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जिनकी आवश्यकता हो, को पुश ट्रालियों और लॉरियों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है. इंजीनियरी विभाग के सेक्शन मेट और हेड ट्रॉली मैन तथा सिगनल व दूरसंचार विभाग के सिगनल और ब्लॉक मेटेनर, जिन्हें प्राधिकृत किया जा सकता है, को पुश ट्रालियों और लॉरियों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है.
2. मंडल के अधिकारियों के संबंध में, मंडल रेल प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी हैं. मंडल इंजीनियर, मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण वितरण, मंडल सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर और डीओएम अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी हैं.
3. किसी को भी योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, ट्रालियों और लॉरियों के संचालन से संबंधित नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा ली जाएगी और केवल उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को ही प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. जारी किया गया योग्यता प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा.
4. जिन कर्मचारियों को लॉरी/ट्रॉली चलाने हेतु योग्यता प्रमाणपत्र दिया जाता है, वे साक्षर होने चाहिए और उन्हें हिंदी या अन्य भाषाओं का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए. किसी भी निरक्षर कर्मचारी को योग्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा.
5. प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत से पहले, प्रत्येक ट्रॉली या लॉरी धारक को निम्नलिखित प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी को घोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा:

मैं, (नाम) (पदनाम) के पद पर (स्टेशन) पर कार्यरत हूँ. इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उन सेक्शनों से पूरी तरह परिचित हूँ जहाँ मुझे अपनी ट्रॉली/लॉरी का उपयोग करना है और ट्रालियों/लॉरियों के संचालन से संबंधित नियमों और उनमें किए गए नवीनतम परिवर्तनों से भी परिचित हूँ और इन नियमों का पूरी तरह से पालन करने का वचन

देता/देती हूँ. इन नियमों का पालन करने में किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी.

हस्ताक्षर.....दिनांक.....

6. इस घोषणा की मंडल मुख्यालय में सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और यदि प्रमाण पत्र धारक इसे समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा घोषणा प्रस्तुत किए जाने तक प्रमाण पत्र का उपयोग करने का उसका अधिकार समाप्त माना जाएगा और उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा.

सी. सुरक्षित कार्य की जिम्मेदारी -

1. ट्रॉली/मोटर ट्रॉली/लॉरी का प्रभारी अधिकारी उसके सुरक्षित संचालन के लिए हर समय जिम्मेदार होता है. जब ट्रॉली में एक से अधिक सक्षमता प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो ट्रॉली का प्रभारी अधिकारी उसके सुरक्षित संचालन के लिए जिम्मेदार होता है.
2. जब किसी ट्रॉली के साथ ट्रॉली के प्रभारी होने के लिए योग्य एक से अधिक रेलवे पदाधिकारी हों, तो वह रेल पदाधिकारी, जो वास्तव में ब्रेक का संचालन कर रहा है, ट्रॉली के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा. ट्रॉली द्वारा ले जाए जा रहे वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रॉली के संचालन में गहन रुचि लें और नियमों के किसी भी उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाएँ, जो उनके ध्यान में आएँ और पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता पर भी ध्यान दें.
3. अधिकारियों और कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि उन्हें दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हर संभव सावधानी और सुरक्षा बरतनी होगी. सुरंग में प्रवेश करते समय, किसी लम्बे पुल या मोड़ को पार करते समय प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई गाड़ी विपरीत दिशा से न आए. किसी समपार के पास पहुँचते समय, प्रभारी अधिकारी को सड़क यातायात पर ध्यान देना चाहिए और समपार पर अपने वाहन का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए.
4. गैंगमेट/गैंगमैन, कीमैन और गेटमैन, जब ट्रॉली को लाइन पर देखें तो, आने वाली किसी भी गाड़ी को चेतावनी देने के लिए हथ रोक सिगनल प्रदर्शित करेंगे और तब तक हथ रोक सिगनल प्रदर्शित करते रहेंगे, जब तक ट्रॉली 800 मीटर दूर न निकल जाए या जब तक उसे लाइन से हटा न दिया जाए.

डी. कुशल ब्रेक-

किसी भी लॉरी, ट्रॉली या मोटर ट्रॉली को तब तक लाइन पर नहीं रखा जाएगा, जब तक कि उसमें कुशल ब्रेक न लगे हों. प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले ब्रेक का परीक्षण किया जाना चाहिए. यह वांछनीय है कि घाट सेक्शन पर चलने वाली ट्रॉलियों और लॉरियों में साधारण हैंड/फुट ब्रेक के अलावा स्कू डाउन ब्रेक भी लगे हों. ब्रेकिंग की पर्याप्तता सुनिश्चित करना प्रभारी पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी.

ई. ट्रॉली/मोटर ट्रॉली/लॉरी के लिए सिगनल -

1. इकहरी लाइन पर और जब इकहरी लाइन चालू हो, तो दिन में सभी ट्रॉलियों और लॉरियों के लिए एक लाल झंडा दिखाया जाएगा ताकि वह दोनों दिशाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे और रात में दोनों दिशाओं में लाल बत्ती दिखाई जाएगी. दोहरी लाइन पर, दिन में, जिस दिशा से गाड़ियाँ आती हैं, उस दिशा में लाल झंडा स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा और रात में, जिस दिशा से गाड़ियाँ आती हैं, उस दिशा में लाल बत्ती और दूसरी दिशा में सफेद बत्ती दिखाई जाएगी. स्टेशन की सीमा के अंदर, दिन में, एक लाल झंडा दिखाया जाएगा ताकि वह दोनों दिशाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे और रात में दोनों दिशाओं में लाल बत्ती दिखाई जाएगी.

नोट- रात्रि सिगनल दिन के समय खराब दृश्यता की स्थिति में दिखाए जाएंगे.

2. जिन सक्शनों में सुरंगें हैं, वहाँ लाल झंडे के अलावा, एकल लाइन या दोहरी लाइन के लिए निर्धारित रात्रि सिगनल, जैसा भी मामला हो, दिन के समय भी प्रदर्शित किए जाएंगे. इसके अलावा, जिन ट्रॉलियों या लॉरियों में हेड लाइट नहीं लगी है, उन्हें रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स लैंप या उसके समकक्ष लैंप और पांच सेल वाली इलेक्ट्रिक टॉर्च रखनी होगी.

एफ. ट्रॉलियों का कार्य-

1. ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत काम करना-

- (ए) ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चलाया जा सकता है, जहां भी गाड़ी सेवा में हस्तक्षेप किए बिना ऐसा करना संभव हो.

- (बी) रात्रि में ट्रॉलियों को ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए।
 (सी) दिन के समय कोहरे के मौसम में तथा धूल भरी आंधी के दौरान, जब दृश्यता कम हो, तो ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए।
 (डी) ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत काम करते समय ट्रॉलियों को गाड़ियों की तरह ही चलाया जाएगा।

II. ब्लॉक सुरक्षा के बिना काम करना-

1. दिन के दौरान नीचे पैरा 8 में उल्लिखित सेक्शनों के अलावा अन्य सेक्शनों पर, साफ मौसम में, ट्रॉलियों को प्रभारी पदाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी पर चलाया जा सकता है। हालांकि, वह स्टेशन मास्टर को उस स्टेशन के बारे में सूचित करेगा जहाँ ट्रॉली को लाइन पर रखा जाएगा, वह ब्लॉक सेक्शन, जिसमें वह प्रवेश करने जा रहा है और वह संभावित समय जब वह सेक्शन खाली कर देगा। वह स्टेशन मास्टर से उन गाड़ियों का विवरण भी पता लगाएगा, जो उसे सेक्शन पर उसके सामने से आएंगीं। प्रभारी अधिकारी नीचे पैरा 2 से 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ट्रॉली की सुरक्षा करेगा, जब आगे और/या पीछे का दृश्य उस दिशा में कम से कम 800 मीटर की दूरी तक स्पष्ट न हो, जहाँ से गाड़ियाँ आएंगीं।
2. इकहरी लाइन पर, एक फ्लैगमैन ट्रॉली के पीछे चलेगा तथा दूसरा फ्लैगमैन ट्रॉली से कम से कम 800 मीटर की दूरी पर आगे चलेगा तथा स्पष्ट रूप से हथ रोक सिग्नल दिखाएगा। दोहरी लाइन पर, फ्लैगमैन ट्रॉली के पीछे या आगे 800 मीटर की दूरी पर उस दिशा में चलेगा जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और स्पष्ट रूप से हथ रोक सिग्नल दिखाएगा।
3. ऊपर उल्लिखित 800 मीटर की दूरी न्यूनतम है, जिसे तीव्र ढलानों और तीखे मोड़ों पर या जहाँ भी दृश्य प्रतिबंधित हो, उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जो गाड़ी के आने से पहले ट्रॉली को हटाने के लिए पर्याप्त होगी।
4. जब लाइन की प्रकृति ऐसी हो कि ट्रॉली के प्रभारी व्यक्ति को आगे या पीछे का फ्लैगमैन दिखाई न दे, तो ट्रॉली के प्रभारी व्यक्ति को सेक्शन में प्रवेश करने से पहले अपने साथ पर्याप्त संख्या में गैंगमैन को हथ सिग्नलों के साथ ले जाने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि सबसे बाहरी फ्लैगमैन या ऑबसरवेशन पोस्ट पर तैनात फ्लैगमैन के सिग्नलों को दोहराने के लिए आवश्यक संख्या में अतिरिक्त मध्यवर्ती फ्लैगमैन उपलब्ध कराए जा सकें।
5. किसी गाड़ी को आते हुए देखकर, उसके सबसे निकट का फ्लैगमैन तुरंत लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर तीन डेटोनेटर लगाएगा और फिर ट्रॉली के प्रभारी पदाधिकारी को आने वाली गाड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए ज़ोर से लाल झंडा लहराएगा। प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली को लाइन से हटाने के बाद, फ्लैगमैन को हरी झंडी दिखाएगा, जो डेटोनेटर हटा देगा और हथ रोक सिग्नल को हटा देगा।
6. जहाँ मोड़ों या कटावों के कारण या अन्य कारणों से लाइन का दृश्य बाधित हो, वहाँ ऐसे स्थानों पर निरीक्षण चौकियाँ स्थापित की जाएंगी, ताकि फ्लैगमैन के उपयोग के लिए दोनों दिशाओं में अच्छा दृश्य प्राप्त हो सके, जिससे ट्रॉली के प्रभारी व्यक्ति को हथ सिग्नल दिए जा सकें।
7. यदि ऑबसरवेशन चौकियों से कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हों या जब स्थितियाँ ऐसी हों कि ऑबसरवेशन चौकियों पर तैनात फ्लैगमैन को ट्रॉली का प्रभारी पदाधिकारी देख न सके, तो ट्रॉली को फ्लैगमैन से फ्लैगमैन तक सिग्नल भेजने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अतिरिक्त मध्यवर्ती फ्लैगमैन को तैनात करने की व्यवस्था करनी होगी।
8. निम्नलिखित ब्लॉक सेक्शनों पर, तीखे मोड़, कटाव, सुरंग आदि के होने के कारण ब्लॉक सुरक्षा के बिना ट्रॉलियों पर काम करते समय नीचे पैरा 9 से 17 में उल्लिखित विशेष सावधानियाँ बरती जाएंगी:-

क्र.सं.	मंडल	ब्लॉक सेक्शन
I.	सिकंदराबाद	(1) विकाराबाद - रुक्मापुर, (2) सिरपुरकागज़नगर - माकुडी, (3) घाटनंदूर - पर्ली वैजनाथ, (4) हल्लिखेड (के) - कमलापुर.
II.	हैदराबाद	इंदलवई - उप्पलावई
III.	नांदेड	अंबारी - कोसाई
IV.	गुंतकल	(1) मामंडुरु - बालापल्ली, (2) बालापल्ली - सेतीगुंटा, (3) द्रोणाचलम - पण्यम.
V.	गुंटूर	गाजुलापल्ली - दिगुवमेट्टा.
VI.	विजयवाडा	(1) रापुर - चेरिलोपल्ली, (2) चेरिलोपल्ली - मंगमपेट.

9. प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली/लॉरी नोटिस (टी/1518) के सूचना भाग को दो प्रतियों में भरकर उस स्टेशन मास्टर को भेजेगा, जहाँ वह ट्रॉली को लाइन पर रखना चाहता है। स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन को टेलीफोन पर निम्नलिखित सूचना देगा:-

- ट्रॉली संख्याट्रॉली नोटिस संख्या के साथ बजे सेक्शन में प्रवेश करेगी. आपकी ओर से आने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी करें.
10. दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को निम्नलिखित सूचना देनी होगी और सूचित करना होगा:-
मैं समझता/समझती हूँ कि ट्रॉली संख्या बजे सेक्शन में प्रवेश करेगी और ट्रॉली को लाइन से हटाए जाने तक सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा. पीएन.....
 11. स्टेशन मास्टर, नियंत्रण कक्ष से सेक्शन में कार्य करते समय ट्रॉली के सामने आने वाली संभावित गाड़ियों का विवरण प्राप्त करेगा और ट्रॉली नोटिस (टी/1518) के भाग 'बी' में इन विवरणों को प्रस्तुत करेगा. गैर-नियंत्रित सेक्शन पर, संबंधित विवरण उस स्टेशन से प्राप्त किया जाएगा, जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं.
 12. यदि संचार में पूर्ण रुकावट आती है, तो स्टेशन मास्टर प्रभारी पदाधिकारी को इस तथ्य की जानकारी देंगे और इस आशय का फार्म टी/1518 पर पृष्ठांकन करेंगे. नियमानुसार ट्रॉली की सुरक्षा करना प्रभारी पदाधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी. जब संचार बहाल हो जाता है, तो ट्रॉली को हटाने की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को प्राप्त होने तक, ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार सतर्कता आदेश जारी किए जाएँगे.
 13. यदि ट्रॉली को स्टेशन की सीमा के बाहर लाइन पर रखना आवश्यक हो, तो प्रभारी अधिकारी भाग 'ए' में विवरण भरेगा और फार्म टी/1518 को संदेशवाहक के माध्यम से स्टेशन मास्टर को भेजेगा तथा आने वाली संभावित गाड़ियों का विवरण प्राप्त करेगा. जब तक यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती, प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली को लाइन पर नहीं रखेंगे.
 14. स्टेशन पर ट्रॉली के पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी फार्म भाग 'सी' (टी/1518) की निष्कासन रिपोर्ट भरकर स्टेशन मास्टर को भेजेगा, जो कार्यालय प्रति में इसकी प्राप्ति की सूचना देगा तथा समय भी दर्ज करेगा. स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को सतर्कता आदेश जारी करना बंद करने के लिए तुरंत सूचित करेगा. ट्रॉली से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ टीएसआर में लाल स्याही से की जाएँगी. यदि ट्रॉली को बीच सेक्शन में लाइन से हटा दिया जाता है और यदि इसे लाइन पर बदलने का इरादा नहीं है, तो प्रभारी अधिकारी निष्कासन फॉर्म भरेगा और इसे निकटतम ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भेजेगा. स्टेशन मास्टर उस समय को दर्ज करेगा जिस समय निष्कासन रिपोर्ट प्राप्त होगी, प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और संदेशवाहक के माध्यम से ब्लॉक फ़ॉइल वापस कर देगा. इसके बाद वह तुरंत ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उसके बाद सतर्कता आदेश जारी करना बंद कर देगा.
 15. जैसे ही ट्रॉली को लाइन पर रखने की अनुमति दी जाती है, स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरणों के प्लंजर पर 'ट्रॉली ऑन लाइन' कैप लगाएगा, जो सतर्कता आदेश जारी करने के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगा.
 16. जिस अवधि के दौरान ट्रॉली सेक्शन पर काम कर रही होगी, ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर सेक्शन में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों के लिए सतर्कता आदेश जारी करेंगे.
 17. ट्रॉली का प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली के सुरक्षित संचालन के लिए ज़िम्मेदार है. उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रॉली के संचालन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा. स्टेशन मास्टर द्वारा सतर्कता आदेश जारी करने से ट्रॉली के प्रभारी पदाधिकारी को ट्रॉली की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती.

जी. एक साथ यात्रा करने वाली ट्रॉलियाँ-

जब दो या अधिक ट्रॉलियाँ एक ही दिशा में एक ही लाइन में एक साथ चल रही हों, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि उनके बीच कम से कम 75 मीटर की दूरी पर एक ओएचई मस्तूल रखा जाए, ताकि पीछे वाली ट्रॉली को आगे वाली ट्रॉली से टकराने से बचाया जा सके, यदि किसी कारणवश आगे वाली ट्रॉली को अचानक रोकना पड़े.

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे

अस्वीकरण:

इस फ़्लाय लीफ में इस विषय पर उल्लिखित उपर्युक्त सामग्री विभिन्न मैनुअल, रेलवे बोर्ड के पत्रों और अन्य पत्रों का अंश है. इसे मूल पत्र और समय-समय पर जारी किए गए अन्य मैनुअल/पत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा यह किसी भी तरह से उनका स्थान नहीं ले सकता है.

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Safety.387/Fly Leaf/11/2025

Fly Leaf No. 11 / 2025

Attention..... ALL CONCERNED

Push Trolley / Lorry Working.

A. Trolley, Lorry and Motor Trolley.

1. A vehicle which can be lifted bodily off the line by four men shall be deemed to be a Trolley and any similar but heavier vehicle (which includes dip lorry) shall be deemed to be a Lorry.
2. Any Trolley which is self-propelled, by means of a motor, is Motor Trolley.
3. A trolley shall not, except in cases of emergency, be used for the carriage of permanent way or other heavy material, and when a trolley is so loaded, it shall be deemed, to be a lorry.
4. Push Trollies and Lorries shall always be pushed and not pulled.
5. Cycle Trollies or Trollies which are propelled by pedaling instead of pushing and Moped Trollies can either be driven by a motor or pedaled. It may be pushed, when necessary, but not pulled.
6. Cycle Trollies and Moped Trollies shall be treated as push trollies in all respects.
7. Push Trollies/ Motor Trolley shall be manned by at least four trolley men. Maximum number of men to be carried. Push trolley-Ten on BG.
8. Lorries shall be manned by at least six Lorry men exclusive of any flagman.
9. A Cycle Trolley or Moped Trolley shall be manned by three persons including the persons pedaling or driving.
10. Each Push Trolley, Cycle Trolley, Moped Trolley or Lorry shall be provided with five red flags instead of two red flags. The number of detonators to be supplied for each push Trolley, Cycle Trolley, Moped Trolley, Lorry or Motor Trolley shall be ten.
11. Numbering of Trollies/Motor Trollies/Lorries – Each trolley/motor trolley and lorry shall be marked with its number, code, initials of the department, the designation and headquarters of the official-in-charge.
12. The speed of a Trolley or Cycle Trolley shall not exceed 15 KMPH.

B. Qualified person to be in charge of Lorry or Trolley when on the line.

1. Staff permitted to use push Trollies and Lorries:
Subject to their being certified competent by the authorized officer, all Officers and Inspectors of the Engineering, Traction Distribution and S & T departments and such other Officers and staff of the Operating and Commercial departments as may be required. Section Mates and Head Trolley man of the Engineering department and Signal and Block maintainers of the S&T department, as may be authorized, may be permitted to use Push Trollies and Lorries.
2. In respect of Officers on the division, the DRM is the authorised officer to issue the certificate of competency. The DEN, the DEE/Tr.D, the DSTE and the DOM are the authorised officers in respect of staff working under them.
3. Before a competency certificate is issued to any one, in the first instance, a written test shall be held in rules pertaining to the working of Trollies and Lorries and only those who qualify in the test shall be issued with the Competency Certificate by the authorised officer. The Competency Certificate issued will be valid for one year.
4. The staff who are given the Competency Certificate for working Lorries/Trollies should be literate and have minimum knowledge of Hindi or other languages. No staff who is an illiterate shall be issued with the competency certificate.
5. Before the end of December of each year, every Trolley or Lorry holder shall submit a certificate of declaration to the authorised officer in the following form:

I, (name) working in the capacity of (designation)
..... at (station) hereby declare that I am fully
conversant with the sections on which I have to use my Trolley/Lorry and with
the rules in respect of working Trollies/Lorries and as well as the latest changes

made in them and undertake to conform meticulously to these rules. In the event of any failure to comply with these rules I shall alone be held responsible.

Signature.....

Date.....

6. This declaration shall be carefully examined in the divisional headquarters office and if a certificate holder fails to submit it, in time, he will be treated as having forfeited his right to use the certificate until such time the declaration is submitted by him and will also render him liable for disciplinary action.

C. Responsibility for Safe Working -

1. The official-in-charge of trolley/motor trolley/lorry is responsible at all times for its safe working. When more than one person holding competency certificate travels in a trolley, the official-in-charge of the trolley is responsible for its safe working.
2. When a Trolley is accompanied by more than one railway official qualified to be in -charge of a Trolley, the railway official, who is actually manning the brakes, shall act as the official in - charge of a Trolley. Senior officials who are being conveyed by the Trolley are however expected to take intelligent interest in the working of the Trolley and shall call attention to any breach of rules which come to their notice and to the need for adequate protection.
3. It shall be clearly understood by officers and staff that they are to take every possible precaution and protection against accidents. When entering a tunnel or cutting or proceeding over a long bridge or curve, the official-in- charge will make sure that no train is likely to be met. While approaching a level crossing the official-in-charge, should look out for road traffic and ensure safe passage of his vehicle over the level crossing.
4. Gangmates/Gangmen, Keymen and Gatemen shall exhibit Stop hand signals to warn any approaching train, when they see the Trolley on line and continue to exhibit the Stop hand signal, till the Trolley has passed 800 metres away or until it is removed from the line.

D. Efficient Brakes -

No lorry, trolley or motor trolley shall be placed on the line unless, it is fitted with efficient brakes. The brakes should be tested before the commencement of each journey. It is desirable that trollies and lorries working on Ghat section are fitted with screw down brakes in addition to ordinary hand/foot brakes. It will be the responsibility of the official-in-charge to ensure the adequacy of braking.

E. Signals for Trolley/Motor Trolley/ Lorry -

1. *On the single line and when single line working is in force on the double line by day for all Trollies and Lorries a red flag shall be shown so as to be conspicuously visible in both directions and at night a red light shall be shown in both the directions. On the double line, by day, a red flag shall be shown conspicuously in the direction from which trains approach and at night, a red light shall be shown in the direction from which trains approach and a white light in the other direction. Inside station limits, by day, a red flag shall be shown so as to be conspicuously visible in both directions and at night a red light shall be shown in both directions.*

Note: - The night signals shall be shown during day at times of poor visibility.

2. *On sections where there are tunnels the night signals prescribed for single line or double line, as the case may be, shall be displayed during the day, in addition to the red flag. Further Trollies or Lorries not provided with head lights, shall carry a petromax lamp or its equivalent and five cell electric torch to illuminate.*

F. Working of Trollies -

I. Working under block protection -

- (a) Trolley may be worked under block protection wherever it is possible to do so without interference to train service.
- (b) Trollies should be worked under block protection in the night.

- (c) During daytime in foggy weather and during dust storm, when the visibility is poor, a Trolley should be worked under block protection.
- (d) When working under block protection trollies will be worked in the same manner as trains.

II. Working without block protection -

1. On sections other than those mentioned in para 8 below during day, in clear weather, Trollies may be worked on the sole responsibility of the official in - charge. He shall, however, notify the Station Master of the station at which the Trolley will be put on line, the block section he is going to enter and the probable time at which he will clear section. He will also ascertain from the Station Master the particulars of the trains that he is likely to encounter on the section. The official in charge shall protect the Trolley in accordance with the procedure laid down in para 2 to 7 below when the view ahead and/or rear is not clear for a distance of at least 800 metres in the direction from which trains will approach.
2. On the single line, a Flagman shall follow and another Flagman shall precede the Trolley at a distance of not less than 800 metres plainly showing a Stop hand signal. On the double line, a Flagman shall either follow or precede a Trolley at a distance of 800 metres in the direction from which trains will approach plainly showing a Stop hand signal.
3. The distance of 800 metres mentioned above is the minimum, which shall be increased on steep gradients and sharp curves or wherever the view is restricted, to such an extent will be adequate to ensure the removal of the Trolley before the arrival of the train.
4. When the nature of the line is such that the Flagman in advance or in rear cannot be seen by the person in - charge of the Trolley, the latter shall arrange before entering the section, to take with him sufficient number of Gangmen with hand signals so that the required number of additional intermediate flagmen can be provided for repeating the signals of the outermost Flagman or the Flagman posted at the observation post.
5. On seeing a train approaching, the Flagman nearest the approaching train shall immediately place three detonators on the line, 10 metres apart, and then wave a red flag vigorously to warn the official in charge of the Trolley about the approaching train. The official in charge shall after removing the Trolley from the line, wave a green flag to the Flagman who shall then remove the detonators and withdraw the Stop hand signal.
6. Where owing to curves or cuttings or due to other causes, the view of the line is obstructed, observation posts shall be established at such sites so as to command a good view in both directions for the use of Flagman, thus enabling hand signals being conveyed to the person in charge of the Trolley.
7. In case no signals are forthcoming from the observation posts or when conditions are such that the Flagman at the observation posts cannot be seen by the official in-charge of the Trolley, the latter shall arrange to post additional intermediate Flagmen at suitable positions to relay the signals from Flagman to Flagman.
8. On the following Block sections, due to existence of sharp curves, cuttings, tunnels etc., special precautions mentioned in para 9 to 17 below shall be taken while working Trollies without block protection:-

S. No.	Division	Block Section
I.	Secunderabad	(1) Vikarabad – Rukmapur, (2) Sirpurkaghaznagar – Makudi, (3) Ghatnandur – Parli Vaijnath, (4) Hallikhed (K) – Kamalapur.
II.	Hyderabad	Indalvai – Uppalavai.
III.	Nanded	Ambari – Kosai.
IV.	Guntakal	(1) Mamanduru – Balapalli, (2) Balapalli – Settigunta, (3) Dronachalam – Panyam.
V.	Guntur	Gazulapalli – Diguvametta.
VI.	Vijayawada	(1) Rapur – Cherilopalli, (2) Cherilopalli – Mangampet.

9. The official in-charge, shall fill up in duplicate Part 'A' the notice portion of Trolley/Lorry Notice (T/1518) and send to the Station Master at which he intends to place the Trolley on line. The Station Master shall advise on telephone the station at the other end of the block section as under:-
Trolley number..... will enter section at hours with Trolley Notice number..... Issue Caution Order to the trains coming from yours.
10. The Station Master at the other end shall acknowledge and advise as under:-
I understand trolley number will enter section at... hours and will issue Caution Order till the Trolley is removed from the line. PN.....
11. The Station Master shall ascertain from the Control the particulars of trains likely to be encountered by the Trolley while working in the section, and furnish these particulars in part 'B' of the Trolley Notice (T/1518). On the non-controlled section, the relevant particulars shall be obtained from the station where trains originate.
12. If there is total interruption of communication, the SM shall advise the official in charge of this fact and make an endorsement on the form T/1518 to this effect and it will be the personal responsibility of the official in charge to protect the Trolley as per rules. When communication is restored, Caution Orders will be issued as per the procedure mentioned above till the removal report of the Trolley is received by the SM.
13. If it is necessary to place the Trolley on the line outside the station limits, the official in-charge shall fill in the particulars in Part 'A' and send the form T/1518 through a messenger to the Station Master and obtain the particulars of trains likely to be encountered. Till this information is received, the official in-charge shall not place the Trolley on line.
14. On arrival of the Trolley at the station, the official in-charge shall fill up the removal report of the form Part 'C' (T/1518) and send it to the Station Master, who shall acknowledge receipt of the same in the office copy and also enter the time. The Station Master shall immediately advise the Station Master at the other end of the block section for the discontinuance of the issue of Caution Order. All entries relating to the Trolley shall be made in red ink in the TSR. If the Trolley is removed from the line in mid-section and if it is not intended to replace it on the line, the official in-charge shall fill up the removal form and send it to the Station Master of the nearest block station. The Station Master shall enter the time at which the removal report is received by him, sign the entry and return the block foil through the messenger. He shall then immediately advise the Station Master at the other end of the block section and discontinue the issue of Caution Order thereafter.
15. Immediately a Trolley is permitted to be placed on the line, the Station Master shall place the 'Trolley on Line' cap on the plunger of the block instruments to serve as a reminder for the issue of Caution Order.
16. During the period the Trolley is working on the section, the Station Masters at either end of the block section shall issue Caution Orders for all trains entering the section.
17. The official in-charge of the Trolley is responsible for the safe working of the Trolley. He shall ensure that rules for the working of the Trolley are strictly adhered to, and always be alert to guard against accidents. The issue of Caution Orders by the Station Master does not absolve the official in-charge of the Trolley from his responsibility for protecting the Trolley.

G. Trollies travelling together –

When two or more trollies are running together in the same direction in the same line, care should be taken to ensure that they are kept at least one OHE mast or 75 m apart to safeguard the trolley in rear from colliding with the front one, in case the front trolley has to be stopped suddenly for any reason.

SAFETY ORGANISATION

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Disclaimer :

The above content mentioned on the subject in this FLY Leaf is an extract from different manuals, RB's letters and other letters. The same to be read in conjunction with the original letter & other manuals / letters issued from time to time and in no way can supersede them.